पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11–02–2021

दिनांक 10/11–02–2021 को रात्रि थाना हसनगंज 01, वजीरगंज 01, नगराम 01 गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंजः–दिनांक 10–02–2021 को एस0आई0 श्री फिरोज आलम सिद्दीकी थाना गोसाईगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–टिन्ना पुत्र केशन निवासी सेमरा पीतपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ को ग्राम सेमरा पीतपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

अभियुक्त गिरफ्तार।

हसनगंजः–दिनांक 11–02–2021 को थाना हसनगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 09–02–2021 को वादिनी श्रीमती साधना उर्फ मोहनी पिता श्री भगवती प्रसाद निवासी मोहल्ला शीतलगंज कस्बा पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा थाना हसनगंज पर अपनी बहन श्रीमती सोनम उम्र करीब 22 वर्ष के सम्बन्ध में धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 03/04 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 1–नीरज (पति) व अन्य ससुरालीजनों के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना ए0सी0पी0 महानगर लखनऊ द्वारा की जा रही थी। जिनके निर्देशन में आज दिनांक 11–02–2021 को** एस0आई0 श्री संजय सिंह थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त **1–नीरज कुमार (पति) पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी 536/231 मदेयगंज खदरा थाना हसनगंज लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर कर्बला ढ़ाल थाना क्षेत्र हसनगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना हसनगंज पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना सरोजनीनगरः–दिनांक 11–02–2021 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री मिथुन पुत्र राजू निवासी चौधरी मोहल्ला बिजनौर थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि आज दिनांक 11–02–2021 को समय करीब 09.00 बजे वादी की पुत्री बिटोल उम्र करीब 07 वर्ष घर के बाहर खेल रही थी कि अल्टो कार गाड़ी नं0 यूपी 32 बीडी–7501 के चालक ने खड़ा डाला नं0 यूपी 32 एचएन–0378 पर टक्कर मारी तभी उसी डाले से नीचे आकर वादी की पुत्री बिटोल दब गई, जिसे इलाज हेतु सीएचसी सरोजनीनगर ले जाया गया, जहां पर डाक्टरो द्वारा वादी की पुत्री को मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 77/2021 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री वैभव कुमार सिंह मो0नं0 6394686995 द्वारा की जा रही है।**

थाना हजरतगंजः–दिनांक 11–02–2021 को थाना हजरतगंज द्वारा बताया गया कि श्री राम शंकर कनौजिया पुत्र स्व0 गंगादीन निवासी 7 डालीबाग थाना हजरतगंज लखनऊ ने थाना हजरतगंज पर सूचना दिया कि उसका पुत्र रवि कपड़ा प्रेस करने का काम करता था। दिनांक 10–02–2021 की रात्रि को काम करने के बाद वापस घर आने पर खाना नही खाया और अपने कमरें सोने के लिए चला गया। आज दिनांक 11–02–2021 को प्रातः रवि को उसके कमरे में जगाने की लिए उसकी मां गयी तो देखा कि उसके पुत्र रवि उम्र करीब 25 वर्ष द्वारा कमरें की छत में लगे पंखे में लोहे की तार का फंदा बनाकर फांसी लगाकर फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रा मो0नं0–9450214881 द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था।